(वाद संख्या–4900/14)

23.12.2019

परिवादी, डा0सुरेन्द्र कुमार प्रसाद, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामला, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के दो छात्रों, अभिषेक राज (परिवादी के पुत्र) एवं श्रेयन पारस की हाजीपुर में डुबने से असामयिक मृत्यु से संबंधित है।

पूर्व में आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में उभय पक्ष को सुनकर दिनांक–25.02.2016 को, प्रत्येक मृतक के नजदीकी रिश्तेदार/अभिभावक को पांच–पांच लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान दिये जाने व तत्संबंधी आदेश पारित किया गया था।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी के लिखित आवेदन पर भा0द0 स0 की धाराओं, 302/201/120बी. के अन्तर्गत हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–730/14, दिनांक–25.08.2014 संस्थित किया गया तथा अनुसंधानोपरान्त ‘‘**तथ्य की भूल**’’ बताकर पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र सं0–225/15, दिनारं–17.06.2015 न्यायालय में समर्पित कर दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा अनुसंधान से असंतुष्ट होकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC N0.-881/2014 दायर किया गया जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–02.09.2015 को पारित निम्नलिखित आदेश द्वारा निष्पादित कर दिया गया।

“It appears that a series of orders were passed which in the interest of justice should be ignored in the present circumstances.

Since the Magistrate has the power to look into the case diary and thereafter conclude that further investigation is required under Section 173(8) Cr.P.C. I would expect the Magistrate to look into the records and thereafter pass an appropriate order within a period of four weeks from the date of receipt of this order.

With the aforesaid observations, the application stands disposed of.”

माननीय पटना उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश/निर्देश के आलोक में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली ने परिवादी के CBI द्वारा द0प्र0स0 की धारा 173(8) के अन्तर्गत पुर्नअनुसंधान कराने के अनुरोध को अस्वीकार कर, अंतिम प्रपत्र को स्वीकार कर लिया। मुख्य

न्यायिक दण्डाधिकारी, वैशाली द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया है कि कांड के एक मृतक के गार्जियन द्वारा मात्र अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से CBI द्वारा प्रसंगाधीन कांड का पुर्नअनुसंधान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को अपने प्रतिवेदन में कथन है कि प्रसंगाधीन मामले में कोई सरकारी कर्मचारी न तो संलिप्त रहा है और न ही दोषी पाया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक मृतक को पांच–पांच लाख रुपये के अनुदान दिये जाने से भविष्य में ऐसे अनुरोधों की संख्या में बढ़ात्तरी हो जाएगी। गृह विभाग की ओर से आयोग द्वारा प्रत्येक मृतक को पांच–पांच लाख रुपये के अनुग्रह अनुदान दिये जाने से संबंधित आदेश पर **पुनर्विचार** किये जाने का अनुरोध किया गया है।

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के उपरोक्त कथित प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से संबंधित तथ्य को स्वीकार किया गया। परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामले में CBI जांच कराने के लिए उनकी ओर से Cr.WJC. सं0–1129/2016 दायर किया गया है जो वर्त्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

आयोग के दिनांक–25.02.2016 के आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि प्रस्तुत कांड के अन्वेषण के संबंध में आयोग द्वारा कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उक्त मामला माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आयोग द्वारा केवल इस आधार पर प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को पांच–पांच लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने का सरकार को निर्देश दिया गया कि :-

“Since the boys died unnaturally due to drowning miles away from University hostel on a day when they were supposed to be in the hostel, I feel their families deserve compensation.”

जो स्थिति आदेश पारित करने के समय आयोग के समक्ष थी वही स्थिति आज भी है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अतः उक्त के आलोक में गृह विशेष (विशेष शाखा), बिहार, पटना के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए सरकार से अनुरोध है कि आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले में, आयोग के दिनांक–25.02.2016 के आदेश का शीघ्रताशीघ्र अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना की आपत्ति ''मात्र संभावना'' पर आधारित है जिसे उचित नहीं माना जा सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में आयोग यह स्पष्ट करता है कि इस मामले को भविष्य में Precedent के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

आज पारित आदेश के साथ आयोग के दिनांक–25.02.2016 को पारित आदेश की प्रति भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह विभाग, बिहार, पटना को भेज दी जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक